न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–36/2014(2014/00053)225/सरवाड

1. लादू पुत्र श्री बालू जाति तेली, निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. गोपाल पुत्र श्री नाथू जाति गुर्जर निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. परसराम पुत्र श्री कालूराम, जाति तेली, निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. तहसीलदार एंव उप पंजीयक, तहसील कार्यालय सरवाड जिला अजमेर।
3. उप पंजीयक, तहसील कार्यालय सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के आदेश दिनांक 25.11.2013, राजस्व प्रकरण संख्या 79/2013 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सरवाड।

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री घर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधीकारी सरवाड के आदेश दिनांक 25.11.2013, राजस्व प्रकरण संख्या 79/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 एंव 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांटस उपखण्ड अधिकारी सरवाड के यहां पेश किया गया व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फतेहगढ के खाता संख्या 755 नया, 690 पुराना खसरा संख्या 1569 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी 1, खसरा संख्या 1648 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा, खसरा संख्या 1798/73 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा बारानी 1, खसरा संख्या 1813/73 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा बारानी 1 एंव खसरा संख्या 1881/109 रकबा 3 बीघा बारानी 1 कुल किता रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी की पैतृक भूमि चली आ रही है। उक्त खसरा संख्या लादू के पिता बालू के नाम से थे जो जरिये विरासत लादू को मिले है, वादी लादू का दत्तक पुत्र है और रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 शिवराज अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के खिलाफ भड़का रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व व्यक्ति है जिसकी मृत्यु के बाद सारी जायदाद प्रार्थी की है। इस प्रकार अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनो से इन्कार करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया कि कुल विवादित जमीन 22 बीघा 1 बिस्वा का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हो चुका है व प्रार्थी का दावा बंटवारा, घोषणा एंव स्थायी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निषेधाज्ञा का है। जब लादू ने भूमि का बेचान कर दिया तो लादू के खिलाफ स्थगन जारी किये जाने का कोई औचित्य ही नही है। गोदनामा झूठा है तथाकथित गोदनामे को खारिज करवाने का दावा न्यायालय मे चल रहा है। वादी का उपरोक्त आराजी पर कोई कब्जा भी नही है। इसलिए वह अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनकर विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 25–11–2013 द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधीकारी सरवाड के आदेश दिनांक 25.11.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलांटस विवादित आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलांटस द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2069 से 2072 पेश की। जिसमें विवादित आराजी मुतनाजा पर कब्जा लादू पुत्र बालू का चला आ रहा है जो कि प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से साबित था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2013 के ऑपरेटिव पैरा में अपीलांट संख्या 02 को स्ट्रेजर परचेजर मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति इन तीनो बिन्दुओं को देखना होता हैं व प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस ने इन तीनो बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कराया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाा जारी कर दी जो कि धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र मंशा के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ का आदेश दिनांक 25.11.2013 निरस्त किया जावे।

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 14.10.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसमें दिनांक 14.03.2013 को ही विवादित खाता संख्या 755–610 सम्वत 2065–2068 वाकै ग्राम फतेहगढ़ तहसील सरवाड़ की आगामी पेशी दिनांक 20.11.2015 तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये थे तथा बाद पक्षकारान की साक्ष्य एवं सुनवाई कर दिनांक 14.03.2013 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद तक बढ़ायी जाने के एवं प्रार्थी के कब्जेकाश्त में अप्रार्थीगण को कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 परसराम, अपीलांट संख्या 01 लादू का दत्तक पुत्र हैं तथा गोदनामे का सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी हैं। जब तक गोदनामे का निस्तारण नहीं हो जाता हैं तब तक विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से पक्षकारान को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नही होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा (मौके एवं रिकार्ड बाबत् मूल दावे तक हस्तक्षेप का कोई आधार नही हैं इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2013, राजस्व प्रकरण संख्या 79/2013 यथावत् रखा जाता है।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

07. आदेश आज दिनाक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर